



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 38]

नई दिल्ली, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2019, शनिवार/भाद्र 24—भाद्र 30, 1941

No. 38]

NEW DELHI, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2019, SATURDAY/BHADRA 24—BHADRA—30, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

का.आ. 1690.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नोटिस अवधि में छूट देते हुए भारतीय स्टेट बैंक की प्रबंध निदेशक सुश्री अंशुला कांत के त्याग-पत्र को दिनांक 31.8.2019 (अपराह्न) से स्वीकार करती है।

[फा. सं. 13/4/2018-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 30th August, 2019

S.O. 1690.—In exercise of the powers conferred by the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government hereby accepts the resignation of Ms. Anshula Kant, Managing Director, State Bank of India, with effect from 31.8.2019 (afternoon), in relaxation of the notice period.

[F. No. 13/4/2018-BO-1]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

का.आ. 1691.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री सिंधु पिल्लई ए. (निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री प्रशांत गोयल के स्थान पर ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (खंड-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 30th August, 2019

S.O. 1691.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby nominates Ms. Sindhu Pillai. A. (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Oriental Bank of Commerce, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Prashant Goyal.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.